# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा


जिला बेमेतरा (छ.ग.)

फैक्स फोन नं. 07824–222231, ई–मेल cg.deo.bemetara@gmail.com


## ।। आदेश ।।

ज्ञाप.क./ 1350 /शिकायत/ 2025 बेमेतरा, दिनांक 28/02/2025

विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला का पत्र कमांक/303/स्था.03/2024–25 बेरला, दिनांक 07.02.2025 द्वारा दी गयी श्री सुरेन्द्र कुमार बारले, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शास.प्राथ.शाला सिरसा वि.ख. बेरला दिनांक 11, 18, एवं 19 नवम्बर 2024 एवं 9, 16, 17, 19 दिसम्बर 2024 को बिना किसी सूचना/आवेदन के शाला में अनुपस्थित रहे है तथा संकुल समन्वयक संकुल केन्द्र देवरबीजा द्वारा दिनांक 27.01.2025 व दिनांक 03.02.2025 को निरीक्षण के दौरान शाला में अनुपस्थित पाये गये । अनुपस्थिति के संबंध में कार्यालयीन पत्र कमांक/1105/दिनांक 13.02.2025, द्वारा स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया, किंतु उच्च कार्यालय के निर्देशो का अवहेलना करते हुए स्पष्टीकरण पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। जो कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है ।

उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1)(2)(3) के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी साजा निर्धारित किया जाता है । निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

जिला शिक्षा अधिकारी
बेमेतरा

पृ.क./ 1351 /शिकायत/2025 बेमेतरा, दिनांक 28/02/2025

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. कलेक्टर जिला–बेमेतरा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला को सूचनार्थ, संबंधित सहायक शिक्षक, को आदेश तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करे ।
4. प्रधान पाठक, शास.प्राथ.शाला सिरसा वि.ख.बेरला को सूचनार्थ ।
5. श्री सुरेन्द्र कुमार बारले, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शास.प्राथ.शाला सिरसा वि.ख.बेरला को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
बेमेतरा

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा

जिला बेमेतरा (छ.ग.)

फैक्स फोन नं. 07824–296022, ई–मेल cg.deo.bemetara2@gmail.com


## ।। आदेश ।।

आदेश कमांक / 1332 /शिकायत/2025 बेमेतरा, दिनांक 28/02/2025

प्रधान पाठक शास.प्राथ.शाला तारेगांव वि.ख. नवागढ़ द्वारा पत्र कमांक/515/दिनांक 16.01.2025 के माध्यम से दी गयी जानकारी अनुसार श्री चन्द्रभूषण ठाकुर, सहायक शिक्षक (एल.बी.) दिनांक 20.08.2024 से निरंतर शालेय कार्य में उपस्थिति नही दे रहा है । वर्तमान माह में दिनांक 06.01.2025 से बिना किसी सूचना/आवदेन के शाला में अनुपस्थित है। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शास.प्राथ.शाला तारेगांव, पालको व गणमान्य नागरिकों द्वारा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त शिकायत की जांच हेतु श्री डी.पी.कोईरी, सहायक विकासखंड अधिकारी नवागढ़ को जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया था । जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में दिये गये अभिमत अनुसार श्री चन्द्रभूषण ठाकुर, दिनांक 20.08.2024 से कभी भी नियमित नही रहे है, अगस्त 2024 में 10 दिन, सितम्बर 2024 में 17 दिन, अक्टूबर 2024 में 13 दिन, नवम्बर 2024 में 17 दिन, दिसम्बर 2024 में 22 दिन, जनवरी 2025 में 20 दिन अनुपस्थित रहे है, जिसके कारण शाला में अध्यापन कार्य प्रभावित रहा है ।

उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1)(2)(3) के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा निर्धारित किया जाता है, निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन–निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

जिला शिक्षा अधिकारी
बेमेतरा
28.2.25

पृ.क./ 1333 /शिकायत/2025 बेमेतरा, दिनांक 28/02/2025

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. कलेक्टर जिला–बेमेतरा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ को सूचनार्थ, संबंधित सहायक शिक्षक को आदेश तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करे ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा को सूचनार्थ ।
5. प्रधान पाठक शास.प्राथ.शाला तारेगांव वि.ख. नवागढ़ को सूचनार्थ ।
6. श्री चन्द्रभूषण ठाकुर, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शास.प्राथ.शाला तारेगांव वि.ख. नवागढ़ को सूचनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी
बेमेतरा
28.2.25

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा

जिला बेमेतरा (छ.ग.)

फैक्स फोन नं. 07824–296022, ई–मेल cg.deo.bemetara2@gmail.com

## ।। आदेश ।।

आदेश कमांक/ 1334 /शिकायत/2025 बेमेतरा, दिनांक 28/02/2025

विकासखंड शिक्षा अधिकारी साजा का पत्र कमांक 2204/दिनांक 22.01.2025 द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार दिनांक 22.01.2025 को समय सुबह 10.15 बजे संकुल समन्वयक के साथ शास.प्राथ.शाला संबलपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान श्री रोशन सिंह राजपूत, प्रधान पाठक शास. प्राथ.शाला संबलपुर वि.ख. साजा बिना किसी सूचना/आवेदन के शाला में अनुपस्थित पाये गये । ग्रामीणों रसोईयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं शिक्षकों द्वारा लिखित में दिये गये पंचनामा अनुसार नियमित शाला नही आते, न ही बच्चों को अध्यापन कार्य कराते है एवं शराब का सेवन कर शाला आते है, पुरे समय तक शाला में नही रहते है, जो कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है ।

उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1)(2)(3) के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला निर्धारित किया जाता है, निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन–निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

जिला शिक्षा अधिकारी
28.2.25
बेमेतरा

पृ.क./ 1335 /शिकायत/2025 बेमेतरा, दिनांक 28/02/2025

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. कलेक्टर जिला–बेमेतरा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी साजा को सूचनार्थ, संबंधित सहायक शिक्षक को आदेश तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करे ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला को सूचनार्थ ।
5. श्री रोशन सिंह राजपूत, प्रधान पाठक शास.प्राथ.शाला संबलपुर वि.ख. साजा को सूचनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी
28.2.25
बेमेतरा